

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

In the matter of:

Original Application No. 323/2023

Prem Shankar Singh & Others

Applicant(s)

Versus

State of U.P. & Ors.

Respondents

Action Taken Report in compliance of the order dated 09.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi in O.A. No. 323/2023 Prem Shankar Singh & Others V/s State of U.P. & Ors.

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass an order dated 09.05.2024 in O.A. No. 323/2023 Prem Shankar Singh and Ors V/s State of Uttar Pradesh & Ors. The operative portion of the order is as under:-


"----- 2. Learned Counsel appearing for UPPCB referring to the reply dated 03.05.2024 has submitted that the show cause notice dated 25.04.2024 to the Project proponent M/s Ganpati Classic was issued for imposition of EC. Thereafter, another show cause notice dated 02.05.2024 has been issued and that the reply to the show cause notice is awaited and the exercise in pursuance to the show cause notice will be completed within eight weeks and final order in pursuance to the show cause notice will be passed. He is directed to file the action taken report disclosing the outcome of the show cause notice at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of Image PDF.

3. List on 23.08.2024"

That, a Show Cause Notice vide letter dated 02.05.2024 was issued by U.P. Pollution Control Board to the proprietor of M/s Ganpati Classic, Shri Nikhil Agrawal, Khasra no.-1566-1571, Mauza-Bainpur, District Agra regarding imposition of Environmental Compensation of Rs. 84,75,000/- (Eighty four lakh Seventy five thousand only) for 226 days violation (from the first date of inspection i.e. 18.07.2023 till 28.02.2024).

2. That, the project proponent of M/s Ganpati Classic, Khasra no.-1566-1571, Mauza-Bainpur, District Agra replied to the Show Cause Notice dated 02.05.2024 vide letter dated 18.05.2024. The reply of the project proponent was not found satisfactory.
3. That, the Environment Compensation of Rs. 84,75,000/- (Eighty four lakh Seventy five thousand only) has been imposed against the proprietor Shri Nikhil Agrawal of M/s Ganpati Classic, Khasra no.-1566-1571, Mauza-Bainpur, District Agra by U.P. Pollution Control Board vide letter no. H15613/C-4/NGT-187/P.A./2024 dated 12.08.2024. The copy of the letter dated 12.08.2024 is enclosed as **Annexure-I**

Therefore, the above Action Taken Report is being placed for kind perusal and necessary action of the Hon'ble Tribunal.


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Agra

93



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक

H/156/3

/सी-4/एनजीसीसी-187/ए030/2024

परीक्षक

दिनांक 12-8-24

सेवा में

श्री निरंजित अग्रवाल,
(प्रोपराइटर-में) गणपती क्लस्सिक, खसरा नं०-1566-1571, मौजा-बाईपुर, आगरा,
पता-गणपती स्वधाम, प्लॉट नं०-94, विजय नगर कॉलोनी,
आगरा।

विषय - श्री निरंजित अग्रवाल, (प्रोपराइटर-में) गणपती क्लस्सिक, खसरा नं०-1566-1571, मौजा-बाईपुर, आगरा), पता-गणपती स्वधाम, प्लॉट नं०-94, विजय नगर कॉलोनी, आगरा को विस्तृत पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

मार्गदर्श

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिनियम, नई दिल्ली में पंजीत ओए0 संख्या-323/2023 प्रेम शंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी0 व अन्य में पंजीत आर्डर दिनांक 29.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त आदेश है-सेब के माध्यम से दिनांक 22.09.2023 को प्रेषित की गई है। में गणपती क्लस्सिक, खसरा नं०-1566-1571, मौजा-बाईपुर, आगरा, जो कि बहुमंजलीय आवासीय परियोजना है, द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा निवेश) अधिनियम, 1984 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा निवेश) अधिनियम, 1981 में उल्लिखित प्राधिकारी का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। में गणपती क्लस्सिक, खसरा नं०-1566-1571, मौजा-बाईपुर, आगरा का कुल क्लिस्टअप एरिया 30332.86 वर्ग मी० है। परियोजना द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फेक्ट एरिसमेंट नोटिफिकेशन, एस030 1533(इ) दिनांक 14.09.2024 में प्रोजेक्ट एक्टिविटी के रोडप्लान B (1) में उल्लिखित प्राधिकारी के आगत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

यह कि शोर्ट को पत्रांक-एस00254/सी-4/एनजीसीसी-187/2024, दिनांक 02.05.2024 द्वारा पंजीकृतन में उल्लिखित एनजीसीसी का निर्दिष्ट संचालन/रख-रखाव न किये जाने के कारण प्रचालकों की मात्रा अनुमति से अधिक होने एवं आवासीय परियोजना का कुल क्लिस्टअप एरिया 20,000 वर्ग मीटर से अधिक होने से पर्यावरण में गणपती क्लस्सिक, खसरा नं०-1566-1571, मौजा-बाईपुर, आगरा के अतिक्रमण प्रतिबंधित श्री निरंजित अग्रवाल पता-में गणपती स्वधाम, प्लॉट नं०-94, विजय नगर कॉलोनी, आगरा को विस्तृत मा० एनजीसीसी द्वारा पंजीत आदेश के अनुपालन में केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रु० 37,500/- प्रति दिन की दर से दिनांक 18.07.2023 से 28.02.2024 तक कुल 226 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। (आय: धीरारी लाख विद्युतलाभ हजार मात्र) की पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरम क्लस्सिक नोटिस जारी किया गया है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिनियम, नई दिल्ली में पंजीत ओए0 संख्या-323/2023 प्रेम शंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी0 व अन्य में वाद विचारशील है। बहुमंजलीय आवासीय परियोजना के विस्तृत जारी कारण क्लस्सिक नोटिस के क्रम में परियोजना प्रतिनिधि द्वारा प्रतिकार दिनांक 18.05.2024 प्रेषित किया गया है। पर के पर्यावरण पर्यावरण परियोजना द्वारा वर्तमान अवधि तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही अनुमोदन आदेश के संबंध प्रस्तुत किये गये हैं। मात्र एक पत्र दिनांक 15.09.2023 को दिनांक 19.09.2023 को पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ में प्राप्त कराया गया है। परियोजना द्वारा वर्तमान अवधि तक सहायी जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु निदेश मित्र पीटीएल पर आदेश नहीं किया गया एवं न ही स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पर्यावरण/रख-रखाव के संबंध में कोई सूचना दी गयी है जबकि मा० राष्ट्रीय हरित अधिनियम में पंजीत ओए0 सं०-323/2023 प्रेम शंकर सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी0 में पंजीत आदेशों के अनुमोदन में संशोधन कार्यालय, आगरा के पत्र दिनांक 05.09.2023, 02.09.2023, 05.09.2023, 28.09.2023 तथा 28.02.2024 द्वारा सहायी प्राप्त किये जाने व अन्य सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। आवासीय परियोजना के पत्र दिनांक 11.03.2024 द्वारा अग्रवाल कराया गया है कि संबंधित बहुमंजलीय आवासीय परियोजना का निर्माण वर्ष 2011 से शुरू किया गया, जिसे वर्ष 2014 में पूर्ण कर आगरा को आवंटित कर दिया गया है तथा वर्तमान में रेजिस्ट्रार जनरल आगरा द्वारा दस-दस किया

ए.सी.-12V, विहारी खोद,
Gomti Nagar, Lucknow-226009
E-mail: info@uppcb.com
Website: www.uppcb.com

E.C.-12V, Vihari Khod,
Gomti Nagar, Lucknow-226009
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

जमा है, जिससे स्पष्ट है कि परियोजना के ड्राफ्टस्मॉलर द्वारा परियोजना के निर्माण के समय व अवसल अवस्था से पूर्व प्राप्त अधिलेखित विन्दुओं का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे परियोजना द्वारा प्रेषित प्रदूषण द्वारा 18.08.2024 काया गयी है।

उपरोक्त दूषितता क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण, अणत द्वारा पत्रिका-206/एन-249/2024 दिनांक 29.05.2024 एवं पत्रिका-406/एन-243/2024 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से प्रेषित अवस्थाओं में श्री निरंजन अणतल (ड्राफ्टस्मॉलर-श्री) सहायता प्रदाता, कारना नं०-1566-1571, मौजा-बाईपुर अणत, पला-राजपूरी सहाय, पला नं०-64, विजय नगर कॉलोनी, अणत के विरुद्ध जारी कारना पत्राओं मॉडिन दिनांक 02.08.2024 के अंत में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिलेखित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

ज्या उपरोक्त प्रेषित पत्राओं एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अणत द्वारा प्रेषित अवसा/संस्तुति दिनांक 29.05.2024 एवं 30.07.2024 के अनुक्रम में मश राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने प्रेषित ओडो(3) सख्या-325/2023 प्रेम सखन सिंह व अणत सखन स्टेट ऑफ यूएपी व अन्य में प्रेषित अवसल दिनांक 09.05.2024 के अनुपालन में श्री सहायता प्रदाता, पला नं०-1566-1571, मौजा-बाईपुर अणत के अधिलेखित प्रतिलिपि श्री निरंजन अणतल पला-श्री) सहायता प्रदाता, पला नं०-64, विजय नगर कॉलोनी अणत के विरुद्ध निम्नस्त राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहायता प्रतिलिपि के अनुसार रु० 37,500/- प्रति दिन की दर से दिनांक 18.07.2023 से दिनांक 28.02.2024 तक कुल रु० 228 उल्लंघन विरुद्ध रु० 84,75,000/- (एकसठ बीसवीं लाख विरुद्धतर हजार मात्र) की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिलेखित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि ड्राफ्ट के विरुद्ध अधिलेखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वनरशि रु० 84,75,000/- (एकसठ बीसवीं लाख विरुद्धतर हजार मात्र) का मुकाला, जिसका पेयमेंट गेटवेय (URL: <https://erp.sh&sa=1/RecvtFess&UPTCB>) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway से Homepage के dropdown में निम्नस्त लिंकित सुचना का सखन करे-

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति | Water pollution |
| 2. Regional offices / क्षेत्रीय कार्यालय | Agre |
| 3. EC imposed in compliance / अनुपालन में जारी कारना पत्रा | NGT Order |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में निरंजनल 15 कार्यालय के अन्तर अधिलेखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त का सखन क्षेत्रीय सहायता, अणत एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सहाय अधिकारी की अनुमति से निर्णय।

सहाय,

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पला-4

प्रतिलिपि: निरंजनल को सुवर्णदे एन ऑफिस आरकस कार्यालयी रु० प्रेषित -

- 1- निरंजनल को, अणत।
- 2- सहाय, अणत विजय प्रसिकरण, अणत।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अणत को इस निर्णय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिलेखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वनरशि को सखन बोर्ड के सखन में जमा कराना जमा सुनिश्चित करें।
- 4- जेमा-ज्या, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सुवर्णदे प्रेषित।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पला-4

Atul